

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सं०सं०-अ०सां०नि०/स्था०-13-04/2018.....०७...../पटना, दिनांक ०५-१०-१८

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०से०)
निदेशक,।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा,
दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ),
गया, जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय,
शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल,
मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प०
चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना
एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि
₹ 1,74,83,000/- (एक करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.
03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग
(संख्या 2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।
- प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 08 वीं तारीख तक CTIMS की सत्यापित प्रति के साथ अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।


9. जिन जिलों में अन्वेषक (रान्यास) पदस्थापित हैं, नियमानुसार उनके यात्रा भत्ता विपत्र का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।
10. वित्तीय वर्ष 2018-19 में यात्रा भत्ता मद अन्तर्गत आवंटित राशि (पूर्व में आवंटित राशि सहित) की शत-प्रतिशत निकासी/व्यय नहीं करने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष के अन्त में यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि क्षेत्र भ्रमण/बैठक प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर जाने वाले किसी पदाधिकारी/कर्मियों को यात्रा भत्ता देय नहीं है।
11. व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें/संविदा सेवायें मद में आवंटित राशि में से निदेशालय द्वारा चयनित एजेंसी से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय परिचारी एवं स्वीकृत बल के विरुद्ध वाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त वाहन चालक के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया जाना है। जिन कार्यालयों में वाहन चालक का पद स्वीकृत नहीं है, उनके पारिश्रमिक भुगतान हेतु राज्य योजना उप शीर्ष- 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की गई है।
12. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।



बजट सहायक



प्रशाखा पदा०



उप निदेशक(ले०)


संयुक्त नि०(प्र०)

विश्वासभाजन

निदेशक 03/18

ज्ञापांक 07 / पटना, दिनांक 04-10-18
प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 02/18

ज्ञापांक 07 / पटना, दिनांक 04-10-18
प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 03/18

ज्ञापांक 07 / पटना, दिनांक 04-10-18
प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. वरीय संयुक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने एवं निर्गत करने हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश है कि आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक 03/18

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	06-01 वि0 प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 महान का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	13-10 भाड़े की गाड़ी	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 संचिता सेवारं	कुल योग
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
2	प्रमंडलीय उय निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय													0
2	पटना	0	10000	10000	30000	17000	0	0	0	0	0	0	280000	347000
3	गया	0	0	10000	0	12000	0	0	0	0	0	0	10000	32000
4	मुंगेर	0	10000	10000	30000	20000	0	0	0	0	0	0	95000	165000
5	भागलपुर	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
6	पूर्णांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सहरसा	0	10000	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	350282	400282
8	दरभंगा	0	10000	10000	30000	5000	0	0	7000	0	0	10000	150000	222000
9	मुजफ्फरपुर	0	10000	10000	20000	9000	0	0	15000	0	0	0	0	64000
10	सारण	0	10000	8000	12000	0	0	0	0	0	0	0	210000	240000
जिला सांख्यिकी कार्यालय														
11	पटना	0	20000	40000	70000	20000	0	0	0	0	0	0	700000	850000
12	नालन्दा	0	20000	10000	50000	14000	0	0	0	0	0	0	227000	321000
13	भोजपुर	0	20000	30000	0	20000	0	0	5000	100000	0	0	100000	275000
14	बक्सर	0	15000	30000	40000	20000	0	0	5000	0	0	6000	391680	507680
15	रोहतास	0	20000	30000	40000	11000	0	0	5000	0	0	10000	386000	502000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम विन्हे आवंटन दिया जा रहा है।	06-01 चि0 प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 बर्दी/ घोराक	13-10 भाड़े की गाड़ी	14-01 फिराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 संवित्ता सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	कैम्प (भयुआ)	0	10000	30000	15000	0	0	0	5000	0	0	0	319180	379180
17	गया	0	20000	40000	70000	11000	0	0	0	0	0	0	255000	396000
18	जहानाबाद	0	10000	20000	0	10000	0	0	0	100000	0	0	303000	443000
19	अरबल	0	10000	20000	0	0	0	0	5000	100000	0	0	178500	313500
20	नवादा	0	10000	30000	5000	2000	0	0	0	0	0	8000	215000	270000
21	औरंगाबाद	0	10000	30000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	467660	587660
22	मुंगेर	0	10000	20000	5000	4000	0	0	0	0	0	0	344000	383000
23	बेगूसराय	0	15000	30000	35000	10000	0	0	0	0	0	0	324004	414004
24	खगड़िया	0	15000	20000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	229400	291400
25	लखीसराय	0	10000	20000	20000	6000	0	0	0	0	10000	0	373000	439000
26	शेखपुरा	0	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	168340	198340
27	जमुई	0	0	20000	40000	0	0	0	0	0	0	0	330000	390000
28	भागलपुर	0	20000	30000	40000	14000	0	0	0	0	0	20000	428000	552000
29	बांका	0	10000	30000	40000	50000	0	0	10000	0	0	10000	364450	514450
30	पूर्णिया	0	15000	30000	20000	25000	0	0	0	0	0	0	300000	390000
31	अररिया	0	10000	20000	40000	20000	0	0	0	0	0	0	338000	428000
32	किसानांब	0	0	20000	40000	30000	0	0	0	0	0	0	233960	323960
33	कटिहार		15000	30000	30000	17000	0	0	0	0	0	0	466860	558860
34	सहरसा	0	15000	20000	10000	11000	0	0	0	0	0	0	204268	260268
35	सुपौल	0	5000	30000	20000	1000	0	0	0	0	0	0	260000	316000
36	मधेपुरा	0	0	30000	25000	0	0	0	0	0	0	0	210400	265400

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हे आवंटन दिया जा रहा है।	06-01 चि0 प्रतिपूर्ति	11-01 याता व्यव	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	13-10 भाड़े की गाड़ी	14-01 फिरोया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 संचित सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	दरभंगा	0	20000	30000	50000	40000	0	0	0	0	0	0	621494	761494
38	मधुबनी	0	20000	40000	20000	11000	0	0	0	0	0	0	0	91000
39	समस्तीपुर	0	0	40000	25000	8000	0	0	0	0	0	0	362000	435000
40	मुजफ्फरपुर	0	20000	10000	30000	2000	0	0	0	0	0	0	536201	598201
41	सीतामढ़ी	0	15000	30000	40000	5000	0	0	0	0	0	0	560000	650000
42	शिवहर	0	0	20000	10000	11000	0	0	0	0	0	0	97000	138000
43	पूर्वी चम्पारण	0	20000	40000	70000	22000	0	0	0	0	0	0	463424	615424
44	प० चम्पारण	0	10000	30000	50000	10000	0	0	0	0	0	0	560000	660000
45	बैशाली	0	0	30000	15000	9000	0	0	0	0	0	0	204300	258300
46	सारण	0	15000	30000	0	18000	0	0	0	100000	0	0	318097	481097
47	सिवान	0	15000	30000	30000	11500	0	0	0	0	0	0	120000	206500
48	गोपालगंज	0	15000	30000	20000	7000	0	0	0	0	0	10000	346000	428000
	कुल योग:-	0	635000	1108000	1242000	515500	0	0	57000	400000	10000	114000	13401500	17483000

(एक करोड़ चौहतर लाख तिरासी हजार रुपये) मात्र।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक
63/10